

I/277616/2023

संख्या: 104 / 53-1-2023

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 20 फरवरी, 2023

विषय:-उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-77/दुग्ध-9/नीति-2022/दिशा-निर्देश/2022-23, दिनांक-20 जनवरी, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय अनुदान एवं रियायतों से सम्बन्धित प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2-इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक-20.01.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर शासन की अधिसूचना संख्या-03/2022/1050/53-1099(099)/26/2022, दिनांक-17 अक्टूबर, 2022 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय अनुदान एवं रियायतों से सम्बन्धित प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत हैं :-

1- नीति की अवधि

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022, अधिसूचना संख्या-03/2022/1050/53-1099(099)/26/2022, दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 की तिथि से पाँच वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

2-प्रस्तावों की पात्रता

उ०प्र० दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 की प्रभावी अवधि में स्थापित होने वाली इकाईयों इस नीति के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान, रियायतों व सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु पात्र होंगी।

3- कार्य क्षेत्र

“उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022” सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

4- पात्र संस्थाएँ

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत दुग्ध उद्योगों की स्थापना के लिये निम्न संस्थाएँ पात्र होंगी :-

- (i) फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (Farmer Producers Organization)।
- (ii) मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनियों (Milk Producers Companies)।
- (iii) प्रदेश की सहकारी संस्थाएँ (Co-operative Institutions of the State)।
- (iv) निजी क्षेत्र के उद्यमी (Enterprenurs of private sector)।

5-पात्र सेक्टर

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत विभिन्न एफ0पी0ओ0 (Farmer Producer's Organization), एम0पी0सी0 (Milk Producer's Companies), प्रदेश की सहकारी संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा निम्न क्षेत्र में उद्योग की स्थापना कर नीति में प्राविधानित वित्तीय अनुदान/रियायतें सम्बन्धी लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

- (i) नवीन (Greenfield) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना।
- (ii) विद्यमान दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई (Brownfield) की क्षमता का विस्तार (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि)।
- (iii) गौवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं हेतु नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई (Cattle Feed & Cattle Nutritional Products Manufacturing Unit) की स्थापना अथवा विद्यमान पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की क्षमता विस्तार (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि)।
- (iv) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद जैसे चीज, आइसक्रीम इत्यादि का विनिर्माण करने वाली नवीन इकाई की स्थापना।
- (v) नवीन डेयरी तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी यथा ट्रेसिबिलिटी (Traceability) के उपकरणों एवं सहवर्ती साफ्टवेयर जैसे स्काडा (SCADA) सिस्टम की स्थापना।
- (vi) कोल्ड चेन की स्थापना हेतु दुग्ध अवशीतन केन्द्र (Milk Chilling Center) के उपकरण, बल्क मिल्क कूलर, रेफ्रिजरेटेड वैन/कूलिंग वैन/रोड मिल्क टैंकर, आइसक्रीम ट्रॉली इत्यादि का क्रय।

6- पात्र/अपात्र घटक

क्र०सं०	विवरण	पात्र घटक	अपात्र घटक
1	तकनीकी सिविल कार्य	उद्योगों में दुग्ध उत्पाद के दृष्टिगत दुग्ध प्रसंस्करण तथा पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई से सम्बन्धित उत्पादन प्रयोजन के निमित्त समस्त तकनीकी सिविल कार्य।	सिविल कार्य से सम्बन्धित वे सभी कार्य जो उत्पादन या प्रसंस्करण से सम्बन्धित नहीं हैं, अपात्र घटक में शामिल किये जायेंगे, जिनका विवरण निम्नवत है:- (1) चहारदीवारी। (2) सम्पर्क मार्ग। (3) प्रशासनिक कार्यालय भवन। (4) प्रसाधन कक्ष। (5) श्रमिक विश्राम गृह और श्रमिकों हेतु क्वाटर्स। (6) सफाई कक्ष। (7) सिक्योरिटी गार्ड कक्ष। (8) सभाकक्ष निर्माण। (9) निर्माण से सम्बन्धित परामर्श शुल्क।
2	मशीनरी	उद्योगों में दुग्ध उत्पाद के दृष्टिगत दुग्ध प्रसंस्करण तथा पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद की समस्त प्रक्रियाओं से सम्बन्धित उपकरण एवं मशीनरी पात्र घटक के अन्तर्गत आयेंगे। उदाहरणार्थ- क-दुग्ध प्रसंस्करण से सम्बन्धित- (1) आटोमेशन, मिक्सिंग, सेपरेशन, स्टैन्डर्डाइजेशन, शुगर ट्रीटमेंट, क्लीनिंग एण्ड सेनेटाइजेशन, मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस, क्लैरिफिकेशन, फोर्टीफाईंग आदि। (2) पाश्चुराइजेशन, होमोजेनाईजेशन, इवैपोरेशन, झाइंग, स्टरलाइजेशन, कन्सन्ट्रेशन आदि। (3) कैनिंग, एसेप्टिक पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, बाटलिंग, लेबेलिंग, फिलिंग तथा अन्य विशेष पैकेजिंग आदि। (4) फरमेन्टेशन तथा प्रसंस्करण हेतु अन्य विशेष सुविधायें आदि। (5) कन्ट्रोल टेम्पेचर, ट्रान्सपोर्ट कूलर, रेफ्रिजरेटेड/इसुलेटेड/वेन्टीलेटेड ट्रान्सपोर्ट।	प्लाण्ट एवं मशीनरी में निम्नलिखित को अपात्र घटक में शामिल किया जायेगा:- (1) ईंधन/तेल आदि उपभोग की वस्तुयें एवं भण्डार सामग्री। (2) कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण। (3) परिवहन वाहन। (4) उपयोग की गयी/पुरानी मशीनें/मरम्मत की हुई मशीनरी। (5) समस्त प्रकार के सेवा शुल्क और परिवहन शुल्क। (6) मशीनरी की पेंटिंग का व्यय। (7) क्लोज सर्किट टीवी कैमरा और सम्बन्धित उपकरण। (8) सम्बन्धित परामर्श शुल्क। (9) स्टेशनरी से सम्बन्धित सामग्री।

I/277616/2023

	<p>(6)प्लांट के अन्दर अन्य समस्त प्रसंस्करण/परीक्षण/यातायात/भण्डार सुविधाएं जो कि मूल्य संवर्धन एवं शेल्फ लाईफ बढ़ाने से सम्बन्धित हों, पात्र होंगे।</p> <p>ख-पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद से सम्बन्धित-पेलेट मिल, मिक्सर, शीरा भंडारण टैंक, बॉयलर, कन्वेयर सिस्टम, स्काडा आधारित स्वचालन, अनाज भंडारण साइलो आदि के साथ पशु आहार निर्माण से सम्बन्धित निर्माण संयंत्र आदि पात्र होंगे।</p> <p>ग- तकनीकी उन्नयन-तकनीकी उन्नयन जैसे स्काडा सिस्टम, न्यू जेनरेशन तकनीक की मशीनरी एवं सम्बन्धित उपकरण/संयंत्र पात्र होंगे।</p> <p>घ-ट्रेसबिलिटी एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरण-ट्रेसबिलिटी एवं क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरण जैसे ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (कोल्ड चेन के अतिरिक्त) इत्यादि पात्र होंगे।</p> <p>ड.-कोल्ड चेन की स्थापना- रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली इत्यादि से सम्बन्धित उपकरण/संयंत्र पात्र होंगे।</p>	
--	---	--

7-प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं सुविधाएं निम्नवत् होंगी:-

7.1 पूंजीगत निवेश अनुदान

प्रदेश के समस्त जनपदों में दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों की स्थापना अथवा विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में ही) के लिये प्लांट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर पार्ट्स की लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5.00 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

7.2 ब्याज उपादान

(क) नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना

नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई स्थापित किये जाने हेतु प्लांट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 10.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ख) नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की स्थापना

नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई स्थापित किये जाने हेतु प्लांट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 7.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ग) दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन

विद्यमान डेयरी प्लांट में तकनीकी उन्नयन जैसे स्काडा सिस्टम, न्यू जेनरेशन तकनीक की मशीनरी एवं उपकरण आदि की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(घ) दुग्धशाला के बाहर फील्ड में नवीन टेक्नोलॉजी

डेयरी प्लांट के बाहर फील्ड में ट्रेसबिलिटी एवं क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरण जैसे ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (कोल्ड चेन के अतिरिक्त) हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 1.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ड.) कोल्ड चेन की स्थापना

रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली इत्यादि कोल्ड चेन प्रणाली की स्थापना एवं क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 1.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(च) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई के विस्तारीकरण पर ब्याज उपादान

मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(छ) पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई के विस्तारीकरण पर ब्याज उपादान

मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में प्लान्ट एवं मशीनरी पर लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ज) मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद बनाने वाली इकाईयों को ब्याज उपादान

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद जैसे—चीज, आइसकीम आदि का विनिर्माण करने वाली इकाईयों को प्लान्ट मशीनरी की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

7.3—बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन प्राविधान

दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों को विपणन के लिए बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित अनुदान एवं रियायतें उपलब्ध करायी जायेंगी—

- (i) राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु एयरपोर्ट/समुद्री पोर्ट तक उत्पाद परिवहन पर होने वाले वास्तविक व्यय का 25 प्रतिशत, जो रू0 20 लाख प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा तक 03 वर्षों तक प्रति लाभार्थी अनुदान देय होगा।
- (ii) राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु जलयान/वायुयान से प्रेषण हेतु उत्पाद की एफ0ओ0बी0 (Freight on Board) मूल्य का 20 प्रतिशत, जो अधिकतम रू0 40 लाख प्रतिवर्ष की दर से 03 वर्षों तक अनुदान देय होगा।
- (iii) प्रदेश में स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों को उनके द्वारा उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्य देशों में उत्पाद का नमूना (सैम्पल) प्रेषित करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत, जो अधिकतम रू0 5.00 लाख प्रति लाभार्थी अनुमन्य होगा। यह अनुदान एक इकाई को एक देश में एवं एक नमूना तक सीमित होगा।

7.4—मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान

दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों, पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाईयों व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से सम्बन्धित मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पादों का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता/पर्यावरण प्रमाणीकरण एवं एक्रीडिटेशन जैसे आई0एस0ओ0—14001, आई0एस0ओ0—22000, एच0ए0सी0पी0 तथा सेनेट्री/फाइटोसेनेट्री सर्टिफिकेशन आदि हेतु राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गयी फीस और टेस्टिंग चार्ज के सापेक्ष 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5.0 लाख अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी। मानकीकरण प्रोत्साहन नीति की अवधि में प्रमाणन/पंजीकरण के आधार पर दिया जाएगा।

7.5—पेटेण्ट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधान

दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों, पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाईयों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) से सम्बन्धित मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद निर्माण इकाईयों द्वारा पेटेण्ट/डिजाइन के पंजीकरण हेतु दुग्ध प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अधिकृत संगठनों/संस्थानों को भुगतान की गयी फीस का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5.0 लाख अनुदान प्रतिपूर्ति एक बार देय होगी। यह प्रोत्साहन नीति की अवधि में पेटेण्ट/डिजाइन पंजीकरण के आधार पर दिया जाएगा।

7.6—विद्युत शुल्क

नवीन दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों को 10 वर्ष की अवधि में भुगतान किये गये विद्युत अधिभार की प्रतिपूर्ति विद्युत विभाग द्वारा अनुमन्य धनराशि का ऑकलन उपलब्ध कराने के उपरान्त विभागीय बजट से की जायेगी। यह प्रतिपूर्ति केवल राज्य के विद्युत वितरण कंपनियों या विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों से विद्युत खरीद पर ही की जायेगी।

I/277616/2023

7.7-स्टाम्प शुल्क

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाई हेतु क्रय की गयी भूमि अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर भुगतान की गयी स्टाम्प शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति स्टाम्प विभाग द्वारा अनुमन्य धनराशि का आंकलन उपलब्ध कराने के उपरान्त विभागीय बजट से की जायेगी।

8- उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रस्तावों की पात्रता के निर्धारण में प्रथम आवक व प्रथम पावक के सिद्धान्त को उक्त नीति के प्रस्तर-03 में उल्लिखित क्षेत्रवार/श्रेणीवार ध्यान में रखा जायेगा, जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया जाय। 'पहली' परियोजनाएं वे होंगी जिन्हें नीति और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार अनुदान/प्रोत्साहनों की मंजूरी के लिए अनुमोदित किया गया है। प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान इकाई का वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के बाद किया जाएगा।

9-डेडीकेटेड पोर्टल एवं डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फ़ैसिलिटेशन सेन्टर

(i) उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु टेक्निकल सपोर्ट एवं डेटा एनालिटिक्स आधारित क्रियाकलाप के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फ़ैसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना शासन से प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त मुख्यालय स्तर पर दुग्ध आयुक्त कार्यालय में की जायेगी। डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फ़ैसिलिटेशन सेन्टर विषय विशेषज्ञों, डोमेन एक्सपर्ट्स के सहयोग से संचालित किया जायेगा तथा जिला एवं राज्य स्तर पर उद्योगबन्धु/निवेश मित्र आदि सुसंगत पोर्टलों से इन्टीग्रेटेड रहेगा। इस सेन्टर द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये आवेदन पत्रों की पत्रावली तैयार कर, उनका परीक्षण एवं मूल्यांकन करते हुये प्रस्ताव पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित दुग्ध आयुक्त की अध्यक्षता में गठित प्री-अप्रेजल समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(ii) उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु डेडीकेटेड पोर्टल एवं डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फ़ैसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना दुग्ध आयुक्त कार्यालय में की जायेगी। इस सेन्टर में उद्यमियों को आवश्यकतानुसार टेक्निकल सपोर्ट के लिए विषय विशेषज्ञ तथा डोमेन एक्सपर्ट इत्यादि उपलब्ध होंगे।

10-आवेदन तथा आवेदन पत्र की प्राप्ति

इस नीति के अन्तर्गत समस्त आवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में किये जायेंगे। आवेदक द्वारा पोर्टल पर किये गये आवेदनों का डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फ़ैसिलिटेशन सेन्टर द्वारा प्रारम्भिक परीक्षण कर तत्काल आवेदक को वांछित सूचनाएं यदि आवश्यक हो, तो निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराने/पोर्टल पर अपलोड करने हेतु संसूचित किया जाएगा। पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के परीक्षण, मूल्यांकन, स्वीकृति एवं पूंजीगत अनुदान/ब्याज उपादान/विभिन्न रियायतों की स्वीकृति की समयसीमा का निर्धारण एक्टिविटी फ्लो चार्ट (अनुलग्नक-3) में उल्लिखित है।

11-नीति के अन्तर्गत विस्तारित/तकनीकी उन्नयन से सम्बन्धित आवेदन किये जाने पर संस्थान/प्लांट का पूर्वगामी/विद्यमान स्थिति का भौतिक/स्थलीय सत्यापन

दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) से सम्बन्धित पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने के लिए तथा दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में), पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाईयों के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) एवं दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन से सम्बन्धित ब्याज उपादान हेतु आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय निरीक्षण दल (डी0आई0टी0) द्वारा विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन किया जायेगा। अतः विभागीय निरीक्षण दल द्वारा विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन कराये बिना आवेदक/संस्था द्वारा विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ कर देने के पश्चात किये गये आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।

विस्तारीकरण/तकनीकी उन्नयन के प्रकरण में पूर्वगामी/विद्यमान स्थिति का भौतिक/स्थलीय सत्यापन कराये जाने हेतु विभागीय निरीक्षण दल (डी0आई0टी0) के निम्नवत अध्यक्ष/सदस्य होंगे:-

1- सम्बन्धित मण्डल के दुग्धशाला विकास अधिकारी

- अध्यक्ष

- | | | | |
|----|--|---|-------|
| 2- | सम्बन्धित जनपद के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी | - | सदस्य |
| 3- | सम्बन्धित आवेदक/संस्था के प्रतिनिधि | - | सदस्य |

12-पूँजीगत अनुदान हेतु आवेदन

(i) नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला की स्थापना से सम्बन्धित इकाईयों, पूँजीगत अनुदान हेतु आवेदन पोर्टल पर यथासंभव व्यवसायिक उत्पादन शुरू किये जाने से दो माह पूर्व करेंगे। पूँजीगत अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर-ए) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-1 में उल्लिखित है।

(ii) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) से सम्बन्धित इकाईयों को पूँजीगत अनुदान के लिए अपना आवेदन विस्तारीकरण हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने तथा टर्म लोन स्वीकृत होने के उपरान्त (विनिर्माण इकाई की पूर्वगामी/विद्यमान स्थिति में) पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। विस्तारीकरण से सम्बन्धित इकाईयों द्वारा पूँजीगत अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर-ए) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-1 में उल्लिखित है।

विस्तारीकरण से सम्बन्धित इकाईयों की विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन प्रस्तर-11 में प्राविधानित विभागीय निरीक्षण दल (डी0आई0टी0) द्वारा किया जायेगा। अतः विभागीय निरीक्षण दल द्वारा विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन कराये बिना विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ कर देने के पश्चात किये गये आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।

12.1 ब्याज उपादान हेतु आवेदन

(i) नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना, नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की स्थापना, दुग्धशाला के बाहर फील्ड में नवीन टेक्नोलॉजी की स्थापना, कोल्ड चेन की स्थापना तथा मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद बनाने वाली इकाईयों को ब्याज उपादान हेतु आवेदन पोर्टल पर यथासंभव व्यवसायिक उत्पादन शुरू किये जाने से दो माह पूर्व किये जायेंगे। ब्याज उपादान प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर-बी) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-1 में उल्लिखित है।

(ii) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में), पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) तथा दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन से सम्बन्धित ब्याज उपादान प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित इकाईयों द्वारा आवेदन विस्तारीकरण हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने तथा टर्म लोन स्वीकृत होने के उपरान्त (विनिर्माण इकाई की पूर्वगामी/विद्यमान स्थिति में) पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। विस्तारीकरण से सम्बन्धित इकाईयों द्वारा ब्याज उपादान प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर-बी) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-1 में उल्लिखित है।

दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों के विस्तारीकरण, पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की विस्तारीकरण तथा दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन की स्थापना से पूर्व सम्बन्धित इकाईयों की विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन किया जायेगा। अतः विभागीय निरीक्षण दल द्वारा विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन कराये बिना विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ कर देने के पश्चात किये गये आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।

(iii) कोल्ड चेन की स्थापना हेतु ब्याज उपादान प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर-बी/एनेक्जर-बीबी) (जो लागू हो) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-1/अनुलग्नक-2 में उल्लिखित है।

12.2 प्रोत्साहन प्राविधान हेतु आवेदन

मानकीकरण प्रोत्साहन, पेटेंट/डिजाइन पंजीकरण, बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन, विद्युत शुल्क (ड्यूटी), स्टाम्प शुल्क तथा मानव संसाधन विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षण कराये जाने सम्बन्धी आवेदन इकाई के व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। बाजार

I/277616/2023

विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन के अन्तर्गत उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक इकाई को केवल एक देश में एक नमूना (सैंपल) प्रेषित करने तक अनुदान उपलब्ध होगा। प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर-एए एवं एनेक्जर-एबी) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-2 में उल्लिखित है।

13-नीति के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत एवं अवमुक्त किये जाने से पूर्व संस्थान का भौतिक/स्थलीय सत्यापन सक्षम प्राधिकारी के स्तर से अनुदान/वित्तीय सहायता का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होने, समस्त वांछित अभिलेख प्राप्त होने तथा संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) का भौतिक/स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान एवं वित्तीय सहायता अवमुक्त करने की नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

संयुक्त निरीक्षण दल में निम्नवत् अध्यक्ष/सदस्य होंगे:-

- | | | |
|---|---|---------|
| 1-सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिनिधि (अपर जिलाधिकारी से अनिम्न हो) | - | अध्यक्ष |
| 2-सम्बन्धित मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी | - | सदस्य |
| 3-सम्बन्धित ऋण प्रदाता बैंक के प्रबन्धक | - | सदस्य |

प्रोत्साहन का भुगतान इकाई का वाणिज्यिक परिचालन/उत्पादन प्रारम्भ होने के बाद किया जायेगा। अनुदान की धनराशि अप्रेजिंग बैंक को अवमुक्त की जायेगी, जिसे बैंक द्वारा उद्यमी/ऋण प्राप्तकर्ता के टर्मलोन खाते में जमा किया जायेगा।

परन्तु सम्बन्धित उद्यमी द्वारा यदि व्यवसायिक उत्पादन को प्रारम्भ करने की तिथि से तीन वर्षों के अन्दर इकाई को बन्द कर दी जाती है, किराये पर दे दी जाती है अथवा लीज पर दे दी जाती है, ऐसी स्थिति में पूँजीगत अनुदान, ब्याज उपादान एवं अन्य रियायतों में अवमुक्त की गयी धनराशि ब्याज सहित नोडल विभाग (दुग्ध विकास विभाग) को वापस करनी होगी।

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु डेडीकेटेड पोर्टल एवं डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फौसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना दुग्ध आयुक्त कार्यालय में की जायेगी। इस सेन्टर में उद्यमियों को आवश्यकतानुसार टेक्निकल सपोर्ट के लिए विषय विशेषज्ञ तथा डोमेन एक्सपर्ट इत्यादि उपलब्ध होंगे।

14-उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का अनुदान एवं वित्तीय प्रोत्साहन हेतु मूल्यांकन एवं परीक्षण का कार्य

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान, ब्याज उपादान, बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन, मानकीकरण प्रोत्साहन, पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण प्रोत्साहन, विद्युत अधिभार तथा स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित पोर्टल पर प्राप्त आवेदन का डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फौसिलिटेशन सेन्टर द्वारा मूल्यांकन एवं परीक्षण करते हुये मुख्यालय (दुग्ध आयुक्त कार्यालय) स्तर पर गठित प्री-अप्रेजल समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।

15-दुग्ध नीति का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

15.1-राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत प्राविधानों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति गठित की जायेगी, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाय। सुसंगत विभागों के प्रभारी सचिव इसके सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त सहकारिता से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि, उद्योगों के प्रतिनिधि एवं तकनीकी विशेषज्ञ भी इस समिति के सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन इसके सदस्य-सचिव होंगे।

15.2-प्रशासकीय विभाग स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु अप्रेजल समिति

इस नीति के अन्तर्गत शासन स्तर पर प्री-अप्रेजल समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु प्रभारी सचिव, दुग्ध विकास विभाग की अध्यक्षता में अप्रेजल समिति गठित होगी, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाय। सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण, तकनीकी विशेषज्ञ, वित्त-विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे एवं दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

15.3-मुख्यालय स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु प्री-अप्रेजल समिति

I/277616/2023

इस नीति के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को मुख्यालय स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ०प्र० की अध्यक्षता में प्री-अप्रेजल समिति गठित होगी, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाय। इसमें दुग्धशाला विकास विभाग के अन्य अधिकारीगण, वित्त नियन्त्रक एवं तकनीकी विशेषज्ञ सदस्य तथा मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी/दुग्धशाला विकास अधिकारी (दुग्ध नीति) सदस्य-सचिव होंगे।

15.4-जनपद स्तर पर परियोजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

इस नीति के अंतर्गत किये जा रहे क्रियाकलापों का अनुश्रवण जिलाधिकारी द्वारा उद्योगबंधु के माध्यम से किया जायेगा। इस कार्य हेतु उद्योगबंधु की समिति में उप दुग्धशाला विकास अधिकारी भी सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे।

16-नोडल विभाग

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए दुग्ध विकास विभाग, नोडल विभाग होगा।

17-दुग्ध नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर नवीन नीति के प्रचार-प्रसार हेतु नोडल संस्था द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे:-

- (i) उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत आच्छादित विभिन्न प्रोत्साहनों का व्यापक प्रचार-प्रसार।
- (ii) प्रदेश में उद्योगों हेतु विद्यमान आकर्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग।
- (iii) नीति के प्रचार-प्रसार हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, रोड शो तथा अन्य इवेन्ट्स का आयोजन।

18- उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के लागू होने की तिथि तक वे इकाईयां, जिन्हें उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत विभिन्न अनुदान/रियायतें स्वीकृत की जा चुकी हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के प्राविधानों के अनुसार अवशेष लाभ अनुमन्य होगा।

19-विविध

19.1 उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के उपर्युक्त दिशा-निर्देशों व अनुलग्नक में किसी बिन्दु पर तार्किक कठिनाई होने पर उसका समाधान करने हेतु प्रशासकीय विभाग/दुग्ध विकास विभाग, उ०प्र० शासन सक्षम होगा।

19.2 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

Signed by डा० रजनीश दुबे

(Date: 20-02-2023) 13:29:58

अपर मुख्य सचिव।
Reason: Approved

I/277616/2023

संख्या-104(1)/53-1-2023,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- सचिव,पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, भारत सरकार।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
- 8- सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29 पार्क रोड, लखनऊ।
- 11- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 12- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 13- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 14- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
- 15- वेब मास्टर,दुग्धशाला विकास विभाग,जवाहर भवन,लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

(अ)- पोर्टल पर आवेदन के उपरान्त आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले वांछित अभिलेख :-

- (1) पोर्टल के निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण अंकन सहित आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
- (2) संस्था द्वारा स्वप्रमाणित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर)। (एनेक्ज-ए-12)
- (3) बैंक/वित्तीय संस्था का टर्म लोन हेतु स्वीकृति पत्र।
- (4) बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा संस्था के प्रस्ताव (डीपीआर) हेतु निर्गत अप्रैजल रिपोर्ट, जिसमें स्वीकृत प्लांट मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स तथा सिविल कार्य की गणना का विवरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो।
- (5) निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा तकनीकी सिविल कार्य का मदवार एवं लागतवार (स्टीमेट पर आधारित) प्रमाणित विवरण। (एनेक्ज-ए-7)
- (6) निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इंजीनियर (मैकेनिकल) द्वारा प्लांट-मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स (कोटेशन एन्वाइस आधारित) प्रमाणित विवरण। (एनेक्ज-ए-8)
- (7) ₹0 100/-के नान जुडिशियल नोटरीकृत स्टाम्प पेपर -इस आशय का कि उसके द्वारा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत समस्त अभिलेख सत्य एवं सही हैं। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। (एनेक्ज-ए-6)
- (8) बिल्डिंग प्लान का सक्षम स्तर से अनुमोदित ब्लूप्रिंट एवं उद्योगशाला का भू-अभिलेख (हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में)

(ब)- उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत पूंजीगत अनुदान एवं ब्याज उपादान की किश्त अवमुक्त किये जाने से सम्बन्धित स्वीकृत प्रस्तावों हेतु वांछित अभिलेख :-

- (1) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार, मूल्यवार चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से संबंधित समस्त बिल बाउचरों का भलीभांति परीक्षण कर लिया गया है और वह ठीक है। (एनेक्ज-ए-2)
- (2) कय की गयी मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा विवरण और इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल बाउचर्स की जांच कर ली गयी है और वह ठीक है। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विवरण। (एनेक्ज-ए-3)
- (3) चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा अपने सदस्यता नम्बर सहित लेटर-हेड पर निर्धारित परियोजना हेतु किये गये वास्तविक व्यय तथा वित्त के स्रोत और टर्म लोन के व्यय होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर (एनेक्ज-ए-4)।
- (4) निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा तकनीकी सिविल कार्य का मदवार एवं लागतवार (मूल बिल की प्रमाणित प्रति सहित) प्रमाणित विवरण। (एनेक्ज-ए-7)
- (5) निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इंजीनियर (मैकेनिकल) द्वारा प्लांट-मशीनी एवं स्पेयर पार्ट्स (मूल बिल की प्रमाणित प्रति सहित) प्रमाणित विवरण। (एनेक्ज-ए-8)
- (6) ₹0 100/-के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षतिपूर्ति अनुबंध (Agreement of Indemnity) (एनेक्ज-ए-9)
- (7) लाभार्थी द्वारा ₹0 100/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर नोटरीकृत शपथपत्र कि उसके द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु किसी अन्य संस्था/ संगठन से वित्तीय अनुदान न तो प्राप्त किया गया है और न ही आवेदन किया गया है। (एनेक्ज-ए-10)
- (8) बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाणपत्र कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुदान की धनराशि अवमुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। (एनेक्ज-ए-11)
- (9) लघु उद्योग (एस0एस0आई0)/इण्डस्ट्रीयल इण्टरप्रेनियम मेमोरेण्डम (आई0ई0एम0)/उद्योग आधार पंजीकरण इत्यादि।
- (10) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त (एफ0एस0एस0ए0आई0) लाइसेंस।
- (11) दुग्ध आयुक्त कार्यालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा की गयी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति।
- (12) संस्था/संगठन का पंजीकरण/सर्टीफिकेट आफ इनकार्पोरेशन, मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन और समिति का बाईलाज (यदि लागू हो)/पार्टनरशिप डीड इत्यादि।

(स)- ब्याज उपादान हेतु अनुलग्नक-01 के प्रस्तर-ब में वर्णित अभिलेख के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे :-

- (1) आवेदक संस्था द्वारा प्लांट मशीनरी, तकनीकी, सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स हेतु बैंक द्वारा वितरित ऋण के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष के अन्त तक भुगतान किये गये ब्याज का वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप (एनेक्ज-ए-13, ए-14) पर क्लेम।
- (2) लाभार्थी/संस्था के प्रोमोटर द्वारा हस्ताक्षरित, चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा अभिप्रमाणित तथा बैंक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रपत्र सं0 जी0एफ0आर0-19 ए पर उपयोगिता प्रमाणपत्र (एनेक्ज-ए-5)
- (3) सम्बन्धित खाते का बैंक स्टेटमेंट।
- (4) बैंक के निर्धारित प्रारूप पर ब्याज भुगतान हेतु निर्गत समय-सारणी।

(अ) उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राविधान से सम्बन्धित स्वीकृत प्रस्तावों हेतु वांछित अभिलेख :-

(i) मानकीकरण प्रोत्साहन, पेटेंट/डिजाइन पंजीकरण हेतु वांछित अभिलेख :-

- (1) निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर-एबी) पर आवेदन ।
- (2) विस्तृत परियोजना प्रस्ताव ।
- (3) पिछले तीन वर्षों हेतु संस्था के सम्प्रेक्षित आर्थिक चिट्ठे (यदि यह उपलब्ध नहीं हो तो फर्म/निवेशक का अद्यतन उपलब्ध वित्तीय विवरण)।
- (4) एस0एस0आई0/आई0ई0एम0 की प्रति ।
- (5) संस्था का पंजीकरण/सर्टीफिकेट आफ इन्कारपोरेशन, मेमोरेण्डम एण्ड आर्टीकिल्स आफस एसोशिएशन और सोसाइटी का बाईलाज/पार्टनरशिप डीड इत्यादि ।
- (6) संस्था के प्रमोटर का बायोडाटा/पृष्ठभूमि ।
- (7) कन्सलटेन्ट एजेंसी से प्राप्त परामर्श शुल्क की प्राप्ति रसीद, प्रमाणीकरण संस्था से प्राप्त शुल्क भुगतान की प्रति, एकीडिटेशन हेतु एजेंसी से प्राप्त शुल्क भुगतान की प्रति ।
- (8) पेटेंट/डिजाइन पंजीकरण हेतु भुगतान किये गये शुल्क भुगतान की प्रति ।
- (9) विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) तैयार कराने हेतु संस्था को किये गये भुगतान की रसीद, बैंक ऋण स्वीकृति, अवमुक्त सम्बन्धी अभिलेख ।

(ii) बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन हेतु वांछित अभिलेख :-

- (1) निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर-एबी) पर आवेदन ।
- (2) विस्तृत परियोजना प्रस्ताव ।
- (3) पिछले तीन वर्षों हेतु संस्था के सम्प्रेक्षित आर्थिक चिट्ठे(यदि यह उपलब्ध नहीं हो तो फर्म/ निवेशक का अद्यतन उपलब्ध वित्तीय विवरण) ।
- (4) एस0एस0आई0/आई0ई0एम0 की प्रति ।
- (5) संस्था का पंजीकरण/सर्टीफिकेट आफ इन्कारपोरेशन, मेमोरेण्डम एण्ड आर्टीकिल्स आफस एसोशिएशन और सोसायटी का बाईलाज/पार्टनरशिप डीड इत्यादि ।
- (6) संस्था के प्रमोटर का बायोडाटा ।
- (7) पेटेंट/डिजाइन पंजीकरण हेतु भुगतान किये गये शुल्क भुगतान की प्रति ।
- (8) विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) तैयार कराने हेतु संस्था को किये गये भुगतान की रसीद, बैंक ऋण स्वीकृति, अवमुक्त सम्बन्धी अभिलेख ।
- (9) आयात-निर्यात लाइसेन्स की प्रति, भूतल परिवहन पर वास्तविक शुल्क के सापेक्ष बिल एवं रसीदों, ट्रान्सपोर्ट बिल्टी, आयातक देश से निर्गत उत्पाद मांग पत्र, उत्पाद का फाइटोसेनेटरी/हेल्थ प्रमाण पत्र, कस्टम क्लीयरेंस व ड्यूटी भुगतान की प्रति, फ्रेट चार्ज भुगतान की प्रति, आयातक देश में पोर्ट क्लीयरेंस की प्रतियाँ ।

(iii) कोल्ड चेन की स्थापना हेतु वांछित अभिलेख :-

इसके अन्तर्गत रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली इत्यादि कोल्ड चेन प्रणाली की स्थापना हेतु वांछित अभिलेख-

- (1) निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण अंकन सहित आवेदन पत्र ।
- (2) रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली इत्यादि हेतु बैंक क्लेम प्रपत्र (एनेक्जर-बीबी)
- (3) संस्था द्वारा स्वप्रमाणित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) ।
- (4) बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा टर्म लोन का स्वीकृति पत्र ।
- (5) बैंक/वित्तीय संस्था का अप्रेंजल रिपोर्ट ।
- (6) संस्था का पंजीकरण/सर्टीफिकेट आफ इन्कारपोरेशन, मेमोरेण्डम एण्ड आर्टीकिल्स आफस एसोशिएशन और सोसायटी का बाईलाज/पार्टनरशिप डीड इत्यादि ।
- (7) संस्था के प्रमोटर का बायोडाटा/पृष्ठभूमि ।
- (8) रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली इत्यादि हेतु बिल/बाउचर/इनवाइस की प्रतियाँ जो चार्टर्ड इंजीनियर (मैकेनिकल) द्वारा अभिप्रमाणित हो ।
- (9) बैंक से प्रमाणित वाहन की चेसिस, बाडी और रेफ्रीजरेशन यूनिट का डिलेवरी चालान और रसीद ।
- (10) बैंक से प्रमाणित वाहन की चेसिस, बाडी और रेफ्रीजरेशन यूनिट की इनवाइस की प्रति ।
- (11) बैंक द्वारा ब्याज भुगतान हेतु निर्गत समय सारणी ।
- (12) न्यूनतम रू0 100 के नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शथपत्र कि -
(क) संस्था द्वारा रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली इत्यादि का इस्तेमाल अपनी यूनिट/जॉब बेसिस पर परिवहन (उत्पाद का नाम) हेतु किया जायेगा ।

(ख) यह कि संस्था द्वारा जॉब वर्क के लिये स्टक होल्डर के साथ टाई-अप किया गया है।

(ग) यह कि रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम, ट्राली इत्यादि का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों हेतु नहीं किया जायेगा।

(13) न्यूनतम रू0 100 के नान-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र कि-

(क) संस्था/इसके सहयोगी संस्था/कम्पनी/समूह की कम्पनी अथवा आवेदक के स्वयं की कम्पनी द्वारा इस प्रोजेक्ट हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की अन्य संस्थाओं/संगठनों/ विभागों से पूर्व में कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गयी है। यदि हाँ, तो उसका विवरण साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराना होगा।

(ख) यह कि संस्था द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की अन्य संस्थाओं/संगठनों /विभागों से इस प्रयोजन के लिये न तो आवेदन किया गया है और न ही सहायता प्राप्त की गयी है।

(14) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली इत्यादि के वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रारम्भ करने की तिथि (व्यवसायिक कार्य चालन अर्थात् प्रथम वाणिज्यिक लेन-देन की तिथि) से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

(iv)- **विद्युत शुल्क (Electricity Duty) की प्रतिपूर्ति हेतु वांछित अभिलेख :-**

विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनुलग्नक-01 के प्रस्तर-अ में वर्णित अभिलेख के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से निम्न अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे:-

(1) वांछित आवेदन पत्र। (एनेक्जर-एए)

(2) यह प्रतिपूर्ति केवल राज्य विद्युत वितरण कंपनियों या विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों से विद्युत खरीद पर ही की जायेगी। प्रत्येक वर्ष विद्युत शुल्क (Electricity Duty) हेतु वांछित अभिलेख कार्यालय को आवेदन सहित उपलब्ध कराने होंगे। नवीन दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों को 10 वर्ष की अवधि में भुगतान किये गये विद्युत अधिभार की प्रतिपूर्ति विद्युत विभाग द्वारा अनुमन्य धनराशि का ऑकलन उपलब्ध कराने के उपरान्त विभागीय बजट से की जायेगी।

(v)- **स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु वांछित अभिलेख :-**

स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु अनुलग्नक-01 के प्रस्तर-अ में वर्णित अभिलेख के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से निम्न अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे:-

(1) वांछित आवेदन पत्र। (एनेक्जर-एए)

इस नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाई हेतु क्रय की गयी भूमि अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर भुगतान की गयी स्टाम्प शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति स्टाम्प विभाग द्वारा अनुमन्य धनराशि का ऑकलन उपलब्ध कराने के उपरान्त विभागीय बजट से की जायेगी।

आवेदन के परीक्षण, मूल्यांकन, स्वीकृति एवं पूंजीगत अनुदान/ब्याज उपादान/विभिन्न रियायतों हेतु समय सीमा का निर्धारण
(एक्टिविटी फ्लो चार्ट)

क्र० सं०	विवरण	पूंजीगत निवेश अनुदान हेतु	ब्याज उपादान हेतु	बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन, मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान, पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधान, विद्युत शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क की सुविधायें प्राप्त करने हेतु
1	2	3	4	5
1	पोर्टल पर आवेदन की प्राप्ति	आवेदन की जाँच, कमियाँ एवं आपत्ति इंगित करने हेतु आवेदन की तिथि से 10 कार्यदिवस।	आवेदन की जाँच, कमियाँ एवं आपत्ति इंगित करने हेतु आवेदन की तिथि से 10 कार्यदिवस।	आवेदन की जाँच, कमियाँ एवं आपत्ति इंगित करने हेतु आवेदन की तिथि से 10 कार्यदिवस।
2	आवेदन की जाँच में पायी गयी कमियों, अभिलेखों एवं सूचनाओं को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराने हेतु समय सीमा	आवेदक को संसूचित किये जाने की तिथि से 45 कार्यदिवस, आवेदक द्वारा समय मांगे जाने पर अतिरिक्त 15 कार्यदिवस।	आवेदक को संसूचित किये जाने की तिथि से 45 कार्यदिवस, आवेदक द्वारा समय मांगे जाने पर अतिरिक्त 15 कार्यदिवस।	आवेदक को संसूचित किये जाने की तिथि से 45 कार्यदिवस, आवेदक द्वारा समय मांगे जाने पर अतिरिक्त 15 कार्यदिवस।
3	आवेदन पत्र की जाँच में वांछित अभिलेख/सूचनायें प्राप्त होने के उपरान्त आवेदन स्वीकृत करने की समय सीमा	वांछित अभिलेख/सूचना प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्यदिवस।	वांछित अभिलेख/सूचना प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्यदिवस।	वांछित अभिलेख/सूचना प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्यदिवस।
4	विस्तारीकरण से सम्बन्धित इकाईयों के लिए निर्धारित विभागीय निरीक्षण दल के सत्यापन की समय सीमा	आवेदन पत्र स्वीकृत करने की तिथि से 15 कार्यदिवस।	आवेदन पत्र स्वीकृत करने की तिथि से 15 कार्यदिवस।	लागू नहीं।
5	आवेदन का परीक्षण एवं मूल्यांकन के उपरान्त आवेदन पत्र का संस्तुति सहित प्री-अप्रेजल कमेटी के समक्ष प्रस्तुतीकरण	आवेदन स्वीकृत होने की तिथि से 10 कार्यदिवस, विस्तारीकरण से सम्बन्धित इकाईयों के लिए विभागीय निरीक्षण दल की रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्यदिवस। (जो भी लागू हो)	विस्तारीकरण से सम्बन्धित इकाईयों के लिए विभागीय निरीक्षण दल की रिपोर्ट प्राप्त होने के तिथि से 10 कार्यदिवस।	आवेदन स्वीकृत प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्यदिवस।
6	प्री-अप्रेजल समिति द्वारा संस्तुत किये गये आवेदन का मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु अप्रेजल समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण	प्री-अप्रेजल समिति की संस्तुति प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्यदिवस।	प्री-अप्रेजल समिति की संस्तुति प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्यदिवस।	प्री-अप्रेजल समिति की संस्तुति प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्यदिवस।
7	अप्रेजल समिति के द्वारा मूल्यांकन एवं परीक्षणोपरान्त राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण	अप्रेजल समिति की संस्तुति प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्यदिवस।	अप्रेजल समिति की संस्तुति प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्यदिवस।	अप्रेजल समिति की संस्तुति प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्यदिवस।
8	राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति की स्वीकृति के उपरान्त पूंजीगत/ब्याज उपादान/अन्य रियायतें अवमुक्त किये जाने से पूर्व संस्था का संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) द्वारा इकाई का भ्रमण	आवेदक द्वारा इकाई का व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने की सूचना दिए जाने की तिथि से 15 कार्यदिवस।	आवेदक द्वारा इकाई का व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने की सूचना दिए जाने की तिथि से 15 कार्यदिवस।	लागू नहीं।
9	पूंजीगत अनुदान/ब्याज उपादान/अन्य रियायतें अवमुक्त किया जाना।	बजट की उपलब्धता के अनुसार संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) की संस्तुति प्राप्त होने के 30 कार्यदिवस।	बजट की उपलब्धता के संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) की संस्तुति प्राप्त होने के 30 कार्यदिवस।	बजट की उपलब्धता के राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदन स्वीकृति के 30 कार्यदिवस।

Uttar Pradesh Dairy Development & Milk Products Promotion Policy 2022

Application Form of Capital Grant

- (i) Establishment of new Greenfield milk processing and milk products manufacturing dairy units-
- (ii) Expansion of Capacity of the existing Milk Processing and Milk Products Manufacturing Dairy Units (Minimum 25% increase in existing capacity).-

S.No.	Particulars	Details		
A. Applicant's and Organization basic informations				
1	Promoter's Name, address, phone, mobile no and E-mail ID	Name:		
		Address:		
		Phone.	Mobile.	
		Email.		
2	Background/ Credentials of Promoter's organization			
3	Type of organisation like FPO/MPC/State cooperative and Government Institution/Private entrepreneurs etc. Date of incorporation			
4	PAN No of Organization			
5	GSTIN of Organization			
6	Udhyog Aadhar No of Organization			
7	Existing unit If Yes, (Enclose Audited balance sheet if it is not available then Latest available Financial Status). (Applicable For expansion)	Financial year:		
		Turnover:		
		Profit:		
8	In case of expansion of existing unit		Existing	Expansion
		Capacity		Total after expansion
		Capacity utilization		
B. Project Description				
1	Name of the Project (Organization name)			
2	Location/ Area of the Project			
3	Area of Land (in Hectare)			
4	GPS Location (Latitude and Longitude)			
5	Products/By Products			
6	Technology (Indigenous/Imported)			
7	Capacity of the Plant Unit (In Litre/day or Kg/Day)	Proposed Capacity		
8	Expansion of Capacity of the existing Milk Processing and Milk Products Manufacturing Dairy Units (Minimum 25% increase in existing capacity). (In Litre/day or Kg/Day)	Existing Capacity		
9	Type of packaging proposed			
10	Method of packaging proposed			
C Project Cost (Indicating Proposed Cost, Appraised Cost Separately)				
	Items	Cost of Existing Items If Any	Proposed Cost	Appraised Cost
1	Capital Investment (Fixed Capital)			
2	Land Area Cost			
3	Building- (A) Civil Works (B) Technical Civil Works			
4	Plant And Machinery as per Annexure-A-1			
5	Pre-Operative Expenses			
6	Working Capital			
7	Raw Material/Packaging (Cost of all the raw materials and packaging items required for the projects)			
8	Effluent Disposal (Method/ Machinery/ Cost) List All The Machines To Be Installed.			

D Means Of Finance (Indicating Proposed and Appraised means of Finance, Separately) (in Rs Lakh)				
1	Means of Financing	Existing	Proposed	Appraised
	1. Equity (Promoter/ Foreign/ Other)			
	2. Term Loan			
	3. Assistance from other sources			
	4. Grant-In-Aid			
	5. Others			
	Total			
2	Financial Benchmarks			
	Items	Existing	Proposed	Projected
	1. Cash Flow			
	2. Break Even Point (Production)			
	3. Internal rate of return			
	4. Debit Equity Ratio			
	5. Debt Service Coverage Ratio			
Attach the details of calculation of each of the above on a separate sheet, must be crosssigned by the chartered accountant.				
In case of Expansion all the above benchmarks to be given separately existing as well as projected.				
In Case of Expansion Proposals, Latest available Financial Status/Audited Balance Sheet.				
E Implementation Schedule				
1	Item of work and date of implementation (bar charts/milestone charts may be enclosed)	Item Of Work		Date
		a. Acquiring Land		
		b. Start Of Construction Building		
		c. Completion Of Building		
		d. Placing Order For Plant And Machinery		
		e. Installation/ Erection		
		f. Trial Production/ Running		
		g. Commercial Production/ Running		
F Employment Generation-Direct/ Indirect	Description	Male	Female	Total
	Direct			
	Indirect			
	Total			
G Bank/ Term Loan Detail				
1. Name Of The appraising Bank/ FI				
2. Branch Address With Contact Number				
3. IFSC Code				
4. Account Number				
5. Total Amount Of Term Loan Sanctioned				
6. Term Loan Sanctioned For Dairy Plant Machinery, Spares And Technical Civil Work				
7. Date Of Sanction				
8. Rate Of Interest				
9. Repayment Schedule				
10. Amount Of Term Loan Disbursed				
11. Amount and Date of First Disbursement				
H Date Of Commercial Production				

Certified that the information given above is true to the best of my knowledge and enclosures submitted are duly verified in accordance with the guidelines of Uttar Pradesh Dairy Development & Milk Products Promotion Policy 2022. The proposal may be considered for financial assistance.

Date:

Signature:

Place

Name and Designation:

Seal of the Organization:

Encloser: List of documents attachment

Uttar Pradesh Dairy Development & Milk Products Promotion Policy 2022

Application Form of Interest Subvention

- (a) Establishment of new milk processing and milk products manufacturing dairy units-
- (b) Establishment of new cattle feed and cattle nutritional products manufacturing units-
- (c) Technological upgradation inside the dairy plant-
- (d) New technologies in the field outside the dairy plant-
- (e) Installation of Cold Chain-
- (f) Interest subvention on expansion of milk processing and milk products manufacturing dairy units-
- (g) Interest subvention on expansion of cattle feed and cattle nutritional products manufacturing units-
- (h) Interest subvention for value added milk products manufacturing units-

S.No.	Particulars	Details		
A. Applicant's and Organization basic informations				
1	Promoter's Name, address, phone, mobile no and E-mail ID	Name:		
		Address:		
		Phone.	Mobile.	
		Email.		
2	Background/ Credentials of Promoter's organization			
3	Type of organisation like FPO/MPC/State cooperative and Government Institution/Private entrepreneurs etc.			
	Date of incorporation			
4	PAN No of Organization			
5	GSTIN of Organization			
6	Udhyog Aadhar No of Organization			
7	Existing unit If Yes, (Enclose Audited balance sheet if it is not available then Latest available Financial Status) (Applicable For expansion)	Financial year:		
		Turnover:		
		Profit:		
8	In case of expansion of existing unit		Existing	Expansion
		Capacity		Total after expansion
		Capacity utilization		
B. Project Description				
1	Name of the Project (Organization name)			
2	Location/ Area of the Project			
3	Area of Land (in Hectare)			
4	GPS Location (Latitude and Longitude)			
5	Products/By Products			
6	Technology (Indigenous/Imported)			
7	Capacity of the Plant Unit (In Litre/day or Kg/Day)	Proposed Capacity		
8	Expansion of Capacity of the existing Milk Processing and Milk Products Manufacturing Dairy Units (Minimum 25% increase in existing capacity). (In Litre/day or Kg/Day)	Existing Capacity		
9	Type of packaging proposed			
10	Method of packaging proposed			
C. Project Cost (Indicating Proposed Cost, Appraised Cost Separately)				
	Items	Cost of Existing Items If Any	Proposed Cost	Appraised Cost
1	Capital Investment (Fixed Capital)			
2	Land Area Cost			
3	Building- (C) Civil Works (D) Technical Civil Works			
4	Plant And Machinery as per Annexure-A-1			
5	Pre-Operative Expenses			
6	Working Capital			
7	Raw Material/Packaging (Cost of all the raw materials and packaging items required for the projects)			
8	Effluent Disposal (Method/ Machinery/ Cost) List All The Machines To Be Installed.			

D Means Of Finance (Indicating Proposed and Appraised means of Finance, Separately) (in Rs Lakh)				
1	Means of Financing	Existing	Proposed	Appraised
	6. Equity (Promoter/ Foreign/ Other)			
	7. Term Loan			
	8. Assistance from other sources			
	9. Grant-In-Aid			
	10. Others			
	Total			
2	Financial Benchmarks			
	Items	Existing	Proposed	Projected
	6. Cash Flow			
	7. Break Even Point (Production)			
	8. Internal rate of return			
	9. Debit Equity Ratio			
	10. Debt Service Coverage Ratio			
Attach the details of calculation of each of the above on a separate sheet, must be crosssigned by the chartered accountant.				
In case of Expansion all the above benchmarks to be given separately existing as well as projected.				
In Case of Expansion Proposals, Latest available Financial Status/Audited Balance Sheet.				
E Implementation Schedule				
1	Item of work and date of implementation (bar charts/milestone charts may be enclosed)	Item Of Work		Date
		h. Acquiring Land		
		i. Start Of Construction Building		
		j. Completion Of Building		
		k. Placing Order For Plant And Machinery		
		l. Installation/ Erection		
		m. Trial Production/ Running		
		n. Commercial Production/ Running		
F Employment Generation-Direct/ Indirect	Description	Male	Female	Total
	Direct			
	Indirect			
	Total			
G Bank/ Term Loan Detail				
12. Name Of The appraising Bank/ FI				
13. Branch Address With Contact Number				
14. IFSC Code				
15. Account Number				
16. Total Amount Of Term Loan Sanctioned				
17. Term Loan Sanctioned For Dairy Plant Machinery, Spares And Technical Civil Work				
18. Date Of Sanction				
19. Rate Of Interest				
20. Repayment Schedule				
21. Amount Of Term Loan Disbursed				
22. Amount and Date of First Disbursement				
H Date Of Commercial Production				

Certified that the information given above is true to the best of my knowledge and enclosures submitted are duly verified in accordance with the guidelines of Uttar Pradesh Dairy Development & Milk Products Promotion Policy 2022. The proposal may be considered for financial assistance.

Date:

Signature:

Place

Name and Designation:

Seal of the Organization:

Encloser: List of documents attachment

Uttar Pradesh Dairy Development & Milk Products Promotion Policy 2022

**Application Form for Reimbursement of Provision for Market Development and Brand Promotion/
Provision for Standardization Incentive/ Provision for Patent/Design Registration.**

S.No.	Particulars	Details
A.	Applicant/promoter Details	
1	Name	
2	Mobile no	
3	email	
4	address	
5	Type of organisation like FPO/MPC/State cooperative and Government Institution/Private entrepreneurs etc.	
6	Background/ Credentials Of Applicant Organization	
7	Financial status (Enclose Audited balance sheet if it is not available then Latest available Financial Status)	
B.	Project Description	
1	Name of the project	
2	Registered product details	
3	Lay out plan of unit	
4	Detail of plant machinery installed for the above purpose	
5	Detail of plant machinery and technical civil work verified by chartered engineer/CA evaluation certificate	
6	Detail of institution for consultancy/ registration/ patent and concet of the institution.	
7	Details of export import licence for market development	
C	Project Cost	
1	A. Consultancy Fees B. Patent/Design Registration Fees C. Fees Charged By Certifying Body D. Fee Charged By Accreditation Body	
2	Plant Machinery Required For Quality Certification/ Upgradation	
3	Technical Civil Work Required For Quality Certification /Upgradation	
4	Other	
D	Means Of Finance (Indicating Proposed And Appraised Means Of Finance, Separately)	
17	Promoter'S contribution	
18	Term Loan	
19	Assistance from other sources	
20	Others	
	Total	
E	Implementation Schedule	
21	Anticipated date of work	
<p>Certified that the information given above is true to the best of my knowledge and enclosures submitted are duly verified in accordance with the guidelines of Uttar Pradesh Dairy Development & Milk Products Promotion Policy 2022. The proposal may be considered for financial assistance.</p> <p>Date: _____ Signature: _____</p> <p>Place: _____ Name and Designation: _____</p> <p align="right">Seal of the Organization</p> <p>Encloser: List of documents attachment</p>		

Uttar Pradesh Dairy Development & Milk Products Promotion Policy 2022

(Application Form for Refrigerated Van / Insulated Van / Road Milk Tanker, Bulk Milk Cooler, Ice Cream Trolley etc.)

S.No.	Particulars	Details
A. Applicant/promoter Details		
1	Name And Address Of The Promoters Including Telephone, Fax, Email Etc	Name: Address: Phone. Fax. Email.
2	Type of organisation like FPO/MPC/State cooperative and Government Institution/Private entrepreneurs etc.	
3	Background/ Credentials Of Applicant	
4	Financial Status	Turnover: Profit:
5	Existing Industry If Any	A. B.
B. Project Description		
1	Name Of The Project	
2	Number And Capacities	
C. Project Cost (Indicating Proposed Cost, Appraised Cost Separately)		
1	Refrigerated Van / Insulated Van / Road Milk Tanker, Bulk Milk Cooler, Ice Cream Trolley etc.	
2	Pre-Operative Expenses	
3	Working Capital	
4	Total	
D. Means Of Finance (Indicating Proposed And Appraised Means Of Finance, Separately)		
1	Promoters Contribution	
2	Term Loan	
3	Assistance From Other Sources	
4	Others	
	Total	
E. Implementation Schedule		
1	Anticipated Date Of Purchase Of Refrigerated Van / Insulated Van / Road Milk Tanker, Bulk Milk Cooler, Ice Cream Trolley etc.	

Certified that the information given above is true to the best of my knowledge and enclosures submitted are duly verified in accordance with the guidelines of Uttar Pradesh Dairy Development & Milk Products Promotion Policy 2022. The proposal may be considered for financial assistance.

Date:

Signature:

Place:

Name and Designation:

Seal of the Organization

Encloser: List of documents attachment

**U.P. Dairy Development & Milk Products Promotion Policy 2022
For capital/ interest subvention
{Details of plant and machinery}**

A) For New Units

S.No.	Name of Machine	Name of Supplier Company	Make, Model and Specification	Capacity	Cost

B) For Existing Units.

S.No.	Name of Machine	Name of Supplier Company	Make, Model and Specification	Capacity	Cost

C) Details of Proposed Plant and Machinery (Expansion of Capacity of the existing)

S.No.	Name of Machine	Name of Supplier Company	Make, Model and Specification	Capacity	Cost	Machine used building

Certified that the information given above is true to the best of my knowledge and enclosures submitted are duly verified in accordance with the guidelines of Uttar Pradesh Dairy Development & Milk Products Promotion Policy 2022. The proposal may be considered for financial assistance.

Date:

Signature:

Place

Name and Designation:

Seal of the Organization:

Encloser: List of documents attachment

Letter Head of the CA

CA certificate (with membership number of CA) in the following format:-
Itemized Summary Statement of expenses incurred on Technical civil work

S.No	Name of Item	Supplier	Voucher /Bill Nos.	Date of Order	Date of Payment	Date of Arrival	Gross Cost	Tax	Other Charge	Net Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										

It is further certified that-

- A) All the above entries are based on enclose bill and vouchers.
- B) All the bill and vouchers have been properly check and verified by me.
- C) All the above bill and vouchers are related to new construction only.

Signature and Seal of CA

Letter Head of the CA

CA certificate (with membership number of CA) in the following format:-
Itemized Summary Statement of expenses incurred on Plant & Machinery

S.No	Machine Name	Supplier	Quantity	Voucher /Bill Nos.	Date of Order	Date of Payment	Date of Arrival	Gross Cost	Tax	Other Charge	Net Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

It is further certified that-

- A) All the above entries are based on enclose bill and vouchers.
- B) All the bill and vouchers have been properly check and verified by me.
- C) All the above bill and vouchers are related to new construction only.

Signature and Seal of CA

Letter Head of the CA

CA certificate (with membership number of CA) in the following format:-

(i) Project Cost: (Rs. in lakh)

S No.	Name Of The Component/Item	Project Cost	Cost As Appraised By The Bank	Actual Cost
1	Land			
2	Building/ Civil Works			
3	Plant And Machinery			
4	Misc. Fixed Asset			
5	Other's			
	Total			

Actual expenditure should be supported by payment details (bill/bouchers) duly certified by C.A.

(ii) Means of Finance: (Rs. in lakh)

S No.	Item	Project Cost	As Per Appraisal Report	Actual Expenditure Incurred As on Date
1	Promoters Equity			
2	Term Loan			
3	Unsecured Loan			
4	Grant Under UPDDMPPP-2022			
5	Other's			
	Total			

It is further certified that we have examined and verified that the M/s.....has utilized 100% of promoter contribution and sanctioned term loan for the project.

Signature and Seal of CA

(Letter Head of the C.A)

PERFORMA AS PER GFR 19-A

(See GF rule 212(1))

S No.	Letter no & Date	Amount
1.		

Certified that out of Rs..... of grant in aid sectioned year..... in favour of----- under this department letter No. given in the margin and Rs.....on account of unspent balance of the previous year,a sum of Rs.....has been utilized for the purpose of..... for which it was sanctioned, that the balance og Rs.....remaining un-utilized at the end of the year..... has been surrendered to Government (Vide No.....dated.....) will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year -----

2- Certified that I have satisfied myself that conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been dully fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:

- 1.
- 2.
- 3.

Signature(CA).....

Designation.....

Date.....

(1) Counter signature of promoter
of company with seal

(2) Counter signature of Appraising
Bank with seal

**On Non Judicial Stamp Paper of Rs.100/-
Affidavit/declaration**

I.....S/o.....Resident of.....Director/proprietor of M/s.....do here by solemnly affirms and state as follows:

That I am the deponent here in and I am fully acquainted with the information given below.

1. That the unit /organisation has not obtained are applied for or will not apply for Grant/subsidy for the same purpose or activity from any other ministry or Department of Govt. of India or state govt.
2. That all the papers, documents submitted to department of Dairy Development of government of Uttar Pradesh are true and correct and nothing is concealed.
3. If anything found False, Department of Dairy Development of government of Uttar Pradesh shall we free to initiate proceeding against me as per law.

Deponent

Verification:

verified that the content of this affidavit are true and correct to the best of the knowledge and belief of the deponent and no part of this Affidavit is kept concealed there in, if anything is found false in this affidavit subsequently Organisation shall be liable for action under the laws, hence verified at..... place on.....date.....

Deponent

Solemnly affirmed and signed before me on this day
(Notary)

(Letter head of the Chartered Engineer- Civil)
Format for item wise and cost wise detail of Technical civil work

Name of the project:

Location of the project:

Year of construction:

Details of building	Existing		New/Proposed		
	Nos	Area	Nos	Area	Rate
(A)Production Hall					
(B)Store Room					
(C)Laboratory					
(D)Boiler Room					
(E)Administrative Building/others					
Total					

Certified that I have personally visited the site of the factory on dated the existing building is not sufficient for the proposed expansion/ technical upgradation proposed building is according to need of expansion/technical upgradation established the unit. The above construction is new and the quality of construction is satisfy the norms offactory building The Eligible cost of the new construction is Rs..... (In words) according to norms of UPDDMPP Policy -2022

Date:

Signature and Seal of Chartered Engineer

(Letter head of the Chartered Engineer-Mechanical)
Format for item wise and cost wise details of Machinery.

Name of the project:

Location of the project:

Machinery	Specification	Existing		New/Proposed				
		Nos	Capacity	Nos	Capacity	Rate	Value (Lakhs)	Eligible/Non-Eligible

- A) Certified that I have personally visited the site and examine the plant machinery is installed in the factory on dated.....All about plant machineries installed are newly purchased and working satisfactorily.All above machineries are essential and sufficient for the proposed production capacity.
- B) The Eligible cost of new plant machinery is Rs.....(in words) as per the norms of U.P. Dairy Development & Milk Products Promotion Policy 2022.

Date:

Signature and Seal of Chartered Engineer (Mechanical)

Agreement of Indemnity

This Agreement is made at Lucknow on this _____ between (1)- MS _____, a _____ (Type of organization) incorporated/registered under the _____ (name of the Act) and having its registered office at _____ and (2) Shri _____ S/o _____ R/O _____ (herein after called the "indemnifiers" which expression includes their legal heirs and Successors in interest) of the one part and the state of Uttar Pradesh represented by the Milk Commissioner, Dairy Development Department of Uttar Pradesh (hereinafter called the "Indemnity holder") of the other part.

Whereas the indemnifier no. 1 is carrying on the business of Milk processing in the name and style of _____ (Name of organisation) has applied for subsidy on interest paid to the bank/financial institution _____ (Name of the bank/FI) from where it has arranged the money for expenditure in the plant, machinery and spare parts in the Milk processing unit established by it under the provision of Govt. order no _____ Date _____ (Guidelines order no & date) issued by the Government of Uttar Pradesh and the indemnity holder has agreed to subsidize the indemnifier against the expenditure incurred by the indemnifier in making payment of interest to the bank/financial institution in terms of said Govt. Order;

And whereas the indemnifier no.1 in its meeting of Board of Committee dated _____ (Date) has resolved that Shri _____ (Name and designation) shall Sign this agreement of indemnity. The copy of minutes of aforesaid meeting and the identity proof of Shri _____ are annexed as Annexure no. A-10 and A-6 hereto;

And whereas on the indemnifier's request the Government of Uttar Pradesh as per sanction order no. _____ dated _____ issued by the Milk Commissioner, Dairy Development Department of Uttar Lucknow (hereinafter referred to as the "letter of sanction") after the approval of SLEC/SLEC Sub Committee, agreed to make in favour of the indemnifier-Capital subsidy/Interest subvention reimbursement as per the U.P. Dairy Development & Milk Products Promotion Policy 2022 government order guidelines G.O. no. _____ Date _____ (Guidelines order no & date) for a sum of Rs. _____ (in words) or actual claim duly verified by the concerned Bank/financial institution, whichever is less, shall be entitled for the purpose of Milk Processing Plant at _____ (address of plant) out of which a sum of Rs. _____ (in words) has been paid to the indemnifier through cheque no.....dated.....Drawn on _____ (Name of the bank/FI) the receipt of which the indemnifier to hear by admit and acknowledge) which the indemnifier has deposited/shall deposit in its Current account no _____ / SB account no. _____ with the _____ (Name of the bank/FI) and whereas the indemnifiers have agreed the terms and condition mentioned in the aforesaid government order and the letter of sanction and have promised to abide by the same;

And whereas the parties hereto (indemnifier and indemnity holder) have gone through and have understood the contents of this agreement of indemnity.

Now on the basis of above mentioned facts indemnifiers and indemnity holder here byagree as follows:-

1. That the annexure of this agreement shall form an integral part of this agreement,
2. That the indemnifier no.1 shall not use or divert the grant in aid provided to it by the indemnity holder for any purpose other than payment of interest to the bank/ financial institution concerned,
3. That the indemnifiers shall abide by the terms and conditions mentioned in the G.O. no. _____ Date _____ (Guidelines order no & date) and the letter of sanction
4. That in case the indemnifier no.1 fails to comply with any condition of this agreement, G.O. no. _____ Date _____ (Guidelines order no & date) and the sanction letter or commits Breach there of the indemnifiers shall jointly and severally liable to refund the amount received from the state of Uttar Pradesh without a demur.
5. That in case of failure of indemnifier to refund the amount to state of Uttar Pradesh the state government will have a right to recover the amount paid to the indemnifier no.1 from the indemnifier as an area of land revenue.
6. That in case of any dispute arising out of this agreement between indemnifier and the indemnity holder the decision the matter shall be referred to the headquarter of Dairy Development department, U.P and if the matter remains undispensed the same shall be referred to the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Dairy Development department Uttar Pradesh and his decision shall be final and binding on the indemnifier and indemnity holder.
7. That the indemnifier no.1 shall keep the account of utilization of money received from the state of Uttar Pradesh and keep it ready for inspection by the govt. authorities as and when required.

8. That indemnifier No. 1 shall provide all the information about it including audited annual account/balance sheets to the Milk Commissioner, Dairy Development Department of Uttar Pradesh, Lucknow at regular intervals as demanded by him.
9. That the indemnifier no.1 shall bear all the expenses of this agreement and other expenses incidental there to.
10. That the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Dairy Development Department UP. Govt. shall have a right to interpret any subject matter of the scheme and to amend the same as per policy of the central/state government.

In witness whereof the parties have executed this agreement of this -----(DD/MM/YYYY) in their full senses, out of their free will, without any misrepresentation and undue influence in presence of following witnesses who have also made their signatures on this agreement of the request of parties.

Lucknow

Dated.

Witnesses

1. Name and Address
(Authorized Signatory for and on Behalf of Indemnifier
no.1 Seal/ Stamp of Organization)

2.Name and Address:
(Indemnifier No.2 Address)
Authorized Signatory for and on behalf of
Indemnity Holder

**On non- judicial stamp paper of Rs. 100/-
Affidavit
[as per GFR-209(1)]**

I.....S/o.....resident of director/ proprietor of M/s
.....do here by solemnly affirms and state as Follows: a) That organisation's
sisterconcern(s)/interconnected Company/ Group company as well as the applicant company itself has not obtained any
financial assistance for a Milk project in the past from Govt. of India/govt. of UP. b) That the organisation has not
obtained/applied for or will not obtain any grant /subsidy from any ministry/department of Central Govt./ GOI organisation/
Agencies and state govt. for the same purpose/ activity/ same components. Deponent Verification: Verified that the content
of this affidavit are true and correct to the best of knowledge and belief of the deponent and no part of this affidavit is kept
concealed there in if anything is found false in this affidavit subsequently deponent and Organisation shall be liable jointly
and severally for action under the laws hence verified
at.....(Place).....on.....Date..... Deponent

Notary Seal & Signature:

(Letter Head of the Bank)

(For Scheme of technology Up gradation/ Establishment/ modernisation of Milk Processing Industries)

(For no objection to release Subsidy)

Certificate

- 1- Certified that this bank has appraised the project of M/s.....(name and address of the organisation) for technology upgradation/establishment/ Expansionof Milk unit/Cattle unitsof..... (details of project U.P. Dairy Development & Milk Products Promotion Policy 2022 grant as per guidelines of the schemes and also sanction term loan of Rs.....Lakh (if applicable)
- 2- It is further certified that we have released Rs..... lakh(-----%of sanction term loan) to M/s(Name And Address Of The Organisation).
- 3- We have no objection in releasing of grant if sanctioned by the department of Dairy Development Department Govt. of Uttar Pradesh.
- 4- The Bank agreed to adjust the Grant in Term Loan Account of the Organization.

(Signature)
(Name)
(Branch manager)
(Branch IFSC code)

Format for DPR model

1. Executive summary
2. Background
 - 2.1 Sector background
 - 2.2 Project background
 - 2.3 Promoters background
3. Land detail and Logistics
 - 3.1 Character of the land
 - 3.2 Requirement of land
 - 3.3 Ownership of the land
 - 3.4 Present status of land
 - 3.5 Location of land
 - 3.6 G.P.S. Location
4. Procurement strategy of raw material and other inputs
 - 4.1 Raw material availability
 - 4.2 Source of Procurement
 - 4.3 Process of Procurement
5. Techno commercial viability assessment
 - 5.1 Technology used
 - 5.2 Possible sources of recruitment/machine suppliers
 - 5.3 Capacity and production
 - 5.4 Pollution control (please provide the detail precisely)
 - 5.4.1 Amount of generation of pollution/waste
 - 5.4.2 Mode of waste disposal
 - 5.4.3 Machine to be installed for adhering to pollution norms
6. Process flow diagram
 - 6.1 Machine layout plan
 - 6.2 Process flow table
7. Infrastructure source
 - 7.1 Power (if from UPPCL Permission letter required)
 - 7.2 Water
 - 7.3 Manpower
8. Marketing strategy
 - 8.1 Marketing opportunity
 - 8.2 Approach
9. SWOT analysis
10. Financial analysis
 - 10.1 Cost estimates
 - 10.2 Working capital requirement
 - 10.3 Revenue projection
 - 10.4 Fund flow statement
 - 10.5 Financial ratio
 - 10.6 Breakeven
 - 10.7 Term loan
 - 10.8 Internal rate of return
11. Investment detail
 - 11.1 Equity contribution and source
 - 11.2 Debt contribution, source and cost of debt
 - 11.3 Total fixed capital
 - 11.4 Net worth of the company
 - 11.5 Appraisal letter from Bank of leading Institution.

**For Interest Subsidy
Bank certificate (on Letter head)**

Letter no..... date.....

1. Certified that this bank has appraised the project of M/S..... for Setting up/Expansion/Technology up-gradation of..... (Type of sector) under U.P. Dairy Development & Milk Products Promotion Policy 2022 (state interest subsidy scheme) of govt. of Uttar Pradesh, as per guidelines of the Dairy Development Department, govt. of U P bank has sanctioned term loan of Rs..... outof which Rs..... is towards plant /machinery, technical civil work and spare parts.
2. The rate of interest applicable on term Loan is..... per Annum.
3. That we have released Rs.....of Sanctioned term loan to M/s..... in its term loan accountno.....
4. First installment of term loan was disbursed to orgnisation on dated.....
5. Year wise calculated interest amount for next 5 years on term loan released towards plant/ machinery, technical civil work and spare parts will be as under:-

year	1st year	2nd year	3rd year	4th year	5th year
Amount					

6. The unit of organisation has started commercial production on dated.....
7. We have no objection and releasing interest subsidy as per the guidelines of state government is sanctioned.
8. If the promoters/Firm makes any default in repayment of loan/ interest amount, at any stage, the bank shall be bound to inform the Dairy Development Department, Govt. of U. P.

Signature

(Branch Manager)

Name & Address of Branch with Seal

**Format for Bank/Financial Institution for releasing Interest subsidy under
U.P. Dairy Development & Milk Products Promotion Policy 2022**

To,
The Milk Commissioner
Dairy Development Department, U.P.
Aashok Marg, Lucknow-226001
Email:mcup@up.nic.in

S.No.	Particulars		Description
1.	Name of the company/Firm		
2.	Sector		
3.	Location:		
a)	Address of unit.	Village/Mohalla	
		Post&District	
		Pincode	
		e-mail	
		Phone/Mob. No.	
b)	Address of Registered Office	Village/Mohalla	
		Post&District	
		Pincode	
		e-mail	
		Phone/Mob. No.	
4.	Item of manufacturing and item wise quantity per annum		
5.	Name and address of director/ partners/proprietor(if required attach separate sign sheet)	Name&Designation	
		Village/Mohalla	
		Post&District	
		Pincode	
		e-mail	
6.	Details of term loan sanctioned for establishment of new Dairy Processing Unit/expansion/modernization (rupees in lakh)	6.1 Name of bank/financial institution	
		Branch	
		District	
		6.2 Account No.	
		6.3 IFS Code	
		6.4 Total term loan sanctioned	
		6.5 Date of sanctioned	
		6.6 Loan for new plan machinery, spareparts and Technical civil work sanctioned	
		6.7 Total loan amount disbursed for plant machinery,spareparts and Technical civil work (asondate)	
6.8 Rate of interest per annum (if floating give details)			
6.9 Amount of term loan disbursed			

7	Date of commercial production (attach first sale invoice duly certified by trade tax dept.)			
8	Total time taken for commercial production from release of date 1st disbursement (year, month and days)			
9	Whether unit is permanently closed for commercial production during claim Year? Yes or No. if yes, give details of reason for closing the unit. (attached documents)			
10	Detail of Setting up of new plant & machinery with date related to purchase of plant, machinery & spareparts & list of them			
11	Detail of new technical Civil works with dates related to commencement of Civil works			
12	Attach audited/provisional balancesheet for claimed year			

1. Table :13 Calculation of amount of interest subsidy during the financial year

Calculation of amount of Interest subsidy during the financial Year -----

Month	Outstanding term loan amount for plant machinery technical and civil work and spare part	Principal installment due		Principal installment paid		interest due for plant machineries technical civil work and spare parts		Interest installments paid (for plants and machineries technical civil work and spare parts)		Claimed 100% interest subsidy of column 10	Claimed interest rate by Bank
		Date	Amount Rs.	Date	Amount Rs.	Date	Amount Rs.	Date	Amount Rs.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Date	Amount Rs.	Date	Amount Rs.	Date	Amount Rs.	Date	Amount Rs.	Amount Rs.	%
Financial Year.....											
April											
May											
June											
July											
August											
September											
October											
November											
December											
January											
February											
March											
Total (A)											

Certificate

This is to certify that:-

- a) The above mentioned loan(SI No.6.6)is sanctioned for purchase of new plant machinery, spare part and New technical civil work for setting up/expansion/modernization of Milk Processing Unit/ Cattle Feed unitat the above mentioned address (SI.No.3(a)) after(Pl mention date).
- b) All the plant machinery spare parts and new technical civil work for which above mentioned term loan SI. No.6.6) has been sanctioned is utilized for approved items as per Bank appraisal report for the production and have been purchased and installed at above mentioned address(SI.No.3(a)).
- c) The farm company has paid all the installment for principal and interest amount of the above maintain term loan within the prescribed time limit as per given in(SI.No.13). This is to certify that said unit has no default at any stage and during the financial year for which the claim is made and the account has been classified as regular account as per Bank rules.
- d) All the above mentioned information (SI.No.1 to 13) are true and certified by the Bank/financial institution.
Subsidy amount mentioned in above table in Colum No. 11 of table at point no.13 of said financial year of amount Rs.....is recommended to release subsidy under UPDDMPPP-2022 as per the provision and term and condition of government order-03/2022/1050/53-1099(099)/26/2022 Dated 17/10/2022.

Dated:-

(Signature)
Branch Manager
Name and Address of
branch with seal

Encl:-

- a) Copy of loan sanction letter duly certified by bank manager if any change.
- b) Copy of statement of bank account duly certified by bank manager.
- c) Audited/provisional balance sheet of claimed year.